युवा-शिक्षा-अवसर

दैनिक भास्कर, जयपुर, बुधवार, 27 मार्च, 2024

नए बदलाव • 6 की जगह 7 घंटे की कक्षाएं, क्लिनिकल एक्सपोजर पर रहेगा फोकस

होम्योपैथी स्टडीज : नए अधिनियम जारी, छात्रों को दाखिले से पहले मिलेगी कॉलेज की पूरी जानकारी

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी कॉलेजों व अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर तय करते हुए नए अधिनियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब बीएचएमएस कोर्स के लिए प्रतिदिन छह की जगह सात घंटे की क्लासेज लगेंगी। यानि, अब बीएचएमएस कोर्स कुल 6318 घंटों का हो जाएगा। हालांकि कोर्स की अवधि साढ़े चार साल ही रहेगी। एक साल की इंटर्नशिप होगी।

नए अधिनियम में प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर काफी जोर दिया गया है। इसके तहत ही लाइफ सेविंग स्किल्स, मेडिकल एथिक्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस किया गया है। करिकुलम को कॉम्पिटेंसी आधारित बनाया गया है। इंटरनल असेसमेंट टर्म

वाइज लिए जाएंगे। इसके बाद ही यूनिवर्सिटी एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। होम्योपैथी में अब नेक्स्ट एग्जाम भी होगा। यह परीक्षा छात्रों की क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी जांचने के लिए लिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दो नए डिपार्टमेंट स्थापित किए जाएंगे। अब होम्योपैथी में कम्युनिटी मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी में पीजी की जा सकेगी। इससे पहले सात विभागों में पीजी की जा रही थी। स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

एक साल के रिजल्ट का ब्यौरा रहेगा वेबसाइट पर

कॉलेजों को अपनी पूरी सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यूजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों की नीट यूजी और पीजी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की नीट पीजी की रैंक भी सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना होगा। पिछले 5 साल में पीयर रिव्यू जर्नल्स और नॉन पीयर रिव्यू जर्नल्स में प्रकाशित रिसर्च की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।

राजस्थान में होम्योपैथी शिक्षा के कुल 12 कॉलेज

नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी की साल 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में होम्योपैथी के कुल 12 कॉलेज हैं। इनमें से दो सरकारी व दस प्राइवेट कॉलेज हैं। होम्योपैथी की एक यूनिवर्सिटी भी प्रदेश में है।

कॉलेज अब 100 सीटों के लिए कर सकेंगे आवेदन

यूजी कोर्स के लिए कॉलेज अधिकतम 100 सीटों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इन संस्थानों में क्लासरूम से लेकर कैफेटेरिया तक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। आयोग की ओर से मांगे जाने पर इनकी फुटेज उपलब्ध करवानी होगी।

नए अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। अब होम्योपैथी में क्लिनिकल एक्सपोजर पर जोर दिया जा रहा है। पढ़ाई के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि इससे कोर्स की कुल अवधि में कोई असर नहीं आएगा।
-डॉ. तारकेश्वर जैन, प्रेसीडेंट, होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड